# <u>मुख्यमंत्री पोशाक योजना</u>

मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीकृत/सहायताप्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग III-V में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को ₹ 500/– नगद प्रदान किया जाता है। इस राशि से दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र–छात्राओं/उनके माता पिता द्वारा किया जाता है। जो छात्र छात्राएँ पहले ही पोशाक तैयार करा लेते हैं, उन्हें भी पूरी राशि हस्तान्तरित की जाती है। यह योजना वर्ष 2009–10 से संचालित है।

वर्ग 1 एवं 2 के सभी बालिका एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के सभी बालक को सर्व शिक्षा अभियान के तहत ₹ 400/– की दर से राशि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही वर्ग 6 से 8 के अनुसूचित जाति /जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हीं ₹ 400/–के दर से राशि उपलब्ध कराया जाता है।